"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 79] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 फरवरी 2014— माघ 24, शक 1935

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-32/2014/वा. कर (आब.)/पांच (09). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 की नियम 8 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2010/वा. कर (आब.)/पांच (6) दिनांक 03 फरवरी, 2010 को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा प्ररूप एफ. एल. 4-(क) (व्यावसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नांकित सारणी के कॉलम (2) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिये कॉलम (3) में विहित मापदण्डों के अनुसार कॉलम (4) में यथा दर्शित निर्धारित करती है :-

सारणी

क्र. (1)	अनुज्ञप्ति का प्रकार (2)		मापदण्ड (3)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (4)
1.	प्ररूप एफ. एल. 4क (व्यावसायिक क्लब अनुज्ञप्ति)	(क)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो,	रु. 4,50,000/-
		(ख)	ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो,	रु. 6,00,000/-

(1)	(2)	(3)	(4)
		(ग) ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो.	रु. 7,50,000/-

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2014 से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-32/2014/वा. कर (आब.)/पांच (09). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-32/2014/वा. कर (आब.)/पांच (09), दिनांक 10-2-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-32/2014/CT/EX/V (09). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of the Previous Notification No. F 10-5/2010/C. T. (Ex.)/V(6), dated 03rd February 2010, the State Government hereby, prescribes the annual licence fee of F. L. 4 -(A) (commercial club licence) mentioned in column (2) as shown in column (4) according to the norms laid down in column (3) of the following table :-

TABLE

S. No. (1)	Type of Licence (2)	Norms (3)	Annual Licence Fee (4)
1.	F. L. 4 (A) (Commercial Club License)	(a) For city/place with population not more than one lakh,	Rs. 4,50,000/-
		(b) For city/place with population, more than one lakn but not more than three lakhs,	Rs. 6,00,000/-

(1)	(2)	(3)	(4)
		(c) For city/place with population more than three lakhs:	Rs. 7,50,000/-

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-33/2014/वा. कर (आब.)/पांच (10). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा ऐसी विदेशी मदिरा (बीयर को अपवर्जित करते हुए), जिसकी लैंडिंग प्राईस रुपये 1000/- (अक्षरी रुपये एक हजार) प्रति पेटी (अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल) तक हो, का विदेशी मदिरा एफ. एल. 1घ फुटकर दुकान से एफ. एल. 4 (असैनिक विनोद गृह) एवं एफ. एल. 4क (व्यावसायिक क्लब) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए परिवहन प्रतिषिद्ध करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2014 से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-33/2014/वा. कर (आब.)/पांच (10). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-33/2014/वा. कर (आब.)/पांच (10), दिनांक 10-2-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-33/2014/CT/EX/V(10). — In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 8 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby, prohibits transportation of such Foreign Liquor (excluding Beer) of which landing price is up to Rs. 1000/- (In words Rs. One Thousand) per case (i. e. 12 Quart bottles) from F. L. 1D retail shop of Foreign liquor to the licensees of F. L. 4 (Civilian Club Licence) and F. L. 4 (a) (Commercial Club Licence).

2. This Notification shall come into force with effect from 01 April 2014

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-34/2014/वा. कर (आब.)/पांच (11). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10-17/2013/वा. कर (आब.)/पांच (23), दिनांक 30 मार्च 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा ऐसी विदेशी मदिरा (बीयर को अपवर्जित करते हुए), जिसकी लैंडिग प्राईस रुपये 1000/- (अक्षरी रुपये एक हजार) प्रति पेटी (अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल) तक हो, का विदेशी मदिरा एफ. एल. 1घ फुटकर दुकान से एफ एल. 3 (होटल बार) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए परिवहन प्रतिषिद्ध करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2014 से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-34/2014/वा. कर (आब.)/पांच (11). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2014/वा. कर (आब.)/पांच (11), दिनांक 10-2-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-34/2014/CT/EX/V(11). — In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 8 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and supersession of the previous Notification No. F 10-17/2013/CT (Ex.)/V(23), Raipur Dated, 30 March 2013 issued in this behalf, the State Government hereby, prohibits transport of such Foreign Liquor (excluding Beer) of which landing price is up to Rs. 1000/- (In words Rs. One Thousand) per case (i. e. 12 Quart bottles) from F. L. 1D retail shop of Foreign liquor to the licensees of F. L. 3 (Hotel Bar Licence).

2. This Notification shall come into force with effect from 01 April 2014

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-35/2014/वा. कर (आब.)/पांच (12). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 की नियम 8 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2010/वा. कर (आब.)/पांच (6) दिनांक 03 फरवरी, 2010 को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा प्ररूप एफ. एल. 4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नांकित सारणी के कॉलम (3) में यथा दर्शित निर्धारित करती है :-

सारणी

क्र. (1)	अनुज्ञप्ति का प्रकार (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
1.	प्ररूप एफ. एल. 4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति)	रुपये 1,00,000/-

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2014 से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014

क्रमांक एफ 10-35/2014/वा. कर (आब.)/पांच (12). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2014/वा. कर (आब.)/पांच (12), दिनांक 10-2-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th February 2014

NOTIFICATION

No. F 10-35/2014/CT/EX/V(12). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), in pursuance of the provisions of sub-rule (2) of rule 8 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of the Notification No. F 10-5/2010/C. T. (Ex.)/V(6), dated 3rd February 2010 issued, the State Government hereby, prescribes the annual licence fee of F. L. 4 (Civilian Club Licence) as shown in column (3) of the following table :-

TABLE

S. No. (1)	Type of Licence (2)	Annual Licence Fee (3)
1.	F. L. 4 (Civilian Club License)	Rs. 1,00,000/-

2. This amendment shall be applicable from 1st April 2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.